न्यायालय : न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : संदीप शर्मा,
डी.जे.केडर

प्रकरण संख्या 02/2019 मु.दी.(41)
C.I.S No. .02/2019

ओपेन्द्रसिंह राजपूत प्रोपराईटर मैसर्स श्री जय अम्बे फिलिंग स्टेशन, एच.पी.सी.एल. आउटलेट, नेशनल हाईवे नम्बर–12, जयपुर–जबलपुर हाईवे, ग्राम–हिण्डोली, जिला बूंदी (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जरिए रीजनल मैनेजर, रीजनल ऑफिस–50 सहेली नगर, न्यू पोलोग्राउण्ड, उदयपुर

.....विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थित :–
1. श्री महेन्द्र मेहता–विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री एस.एस.शर्मा–विद्वान अधिवक्ता–विपक्षी की ओर से।

// आदेश //

दिनांक : 30.07.2020

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र माननीय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–3, उदयपुर में दिनांक 21.12.16 को पेश किया गया जहां से कालान्तर में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानानुसार विधिवत निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 6.3.2019 को प्राप्त हुआ।

प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी का प्रकरण संख्या 8/15 मु.दी. इस न्यायालय में विचाराधीन होकर उसमें दिनांक 2.6.16 को विपक्षी ने जवाब पेश कर दिया है तथा विपक्षी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिका में हुए स्थगन आदेश के आधार पर उक्त प्रकरण की सुनवाई में बराबर स्थगन मांगता रहा है। गत पेशी पूर्व न्यायालय ने विपक्षी के अधिवक्ता को स्थगन आदेश देने से यह कहकर मना कर दिया कि धारा–9 आर्बिट्रेशन की कार्यवाही पर कोई स्थगन नहीं है तब से विपक्षी प्रार्थी के रिटेल आउटलेट की खरीदशुदा भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हो गया है और प्रार्थी को बेदखल करने के प्रयास में है। प्रकरण संख्या

8/15 में सुनवाई दिनांक 23.1.17 को नियत है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–9 आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलिएशन एक्ट की सुनवाई तक मौके की स्थिति को यथावत् बनाये रखने बाबत् विपक्षी को पाबंद करना आवश्यक है तथा इस बात के लिए भी पाबंद करना आवश्यक है कि प्रार्थी को उसके रिटेल आउटलेट की खरीदशुदा भूमि से बेदखल न करे तथा पम्प की भौतिक स्थिति को यथावत् बनाये रखे, प्रवेश न करे। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो इस न्यायालय में लंबित प्रार्थनापत्र के कारण निरस्त कर दिया के कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अगर प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष प्रार्थी को प्रदान नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अशोधनीय क्षति होगी। अंत में प्रार्थना की कि ताफैसला मुकदमा नंबर 8/15 मु.दी. विपक्षी को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी के प्रश्नगत ग्राम–हिण्डौली, जिला बुंदी में नेशनल हाईवे नंबर12 जयपुर–जबलपुर हाईवे पर 188/600 कि.मी. पर प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि पर एक रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) श्री जय अम्बे फिलिंग स्टेशन स्थित है में प्रार्थी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, न प्रार्थी को बेदखल करे, न प्रार्थी के रिटेल आउटलेट पर जबरन कब्जा करे, न किसी अन्य को कब्जा सुपुर्द करे तथा यथास्थिति बनाये रखे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे एवं खर्चा प्रार्थनापत्र प्रार्थी को प्रदान किया जावे। प्रार्थनापत्र प्रार्थी के शपथपत्र से समर्थित है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को विपक्षी द्वारा अस्वीकार करते हुए आपत्तियां एवं जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र की कलम सं.1 व 3 स्वीकार है एवं आगे कथन किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत धारा–9 आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलिएशन एक्ट के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया गया। विवादित भूमि विपक्षी के पास 19 वर्ष 11 माह की लीज पर है तथा जब तक लीज खत्म नहीं हो जाती तब तक प्रार्थी का कब्जा नहीं माना जा सकता, क्योंकि कब्जा विपक्षी का बतौर किरायेदार का है तथा मशीनरीज व संसाधन विपक्षी द्वारा लगाये हुए है। विपक्षी द्वारा मौके की यथास्थिति नहीं बनाये रखी जा सकती, क्योंकि कब्जा विपक्षी के पास है और वह अपने स्वविवेक से पेट्रोल पम्प काम में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है, बल्कि विपक्षी के पक्ष में है, क्योंकि विपक्षी बहैसियत किरायेदार विवादित भूमि पर काबिज है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज करने की प्रार्थना की। जवाब विपक्षी कम्पनी अटॉनी राजेश कुमार सिन्हा के शपथपत्र से समर्थित है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से तर्क पेश किया गया कि प्रार्थी द्वारा धारा–9 आर्बिट्रेशन एण्ड

कंसीलिएशन एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र दिनांक 8.12.15 को पेश किया गया, लेकिन उसमें कोई स्थगन नहीं होने से अप्रार्थी विवादित रिटेल आउटलेट श्री जय अम्बे फिलिंग स्टेशन से प्रार्थी को बेदखल करना पर आमादा है तथा प्रयासरत है। इस संबंध में एक प्रार्थनापत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किया गया, किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने से इसी न्यायालय में चाराज्यौंही करना उचित मानते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन है तथा प्रार्थना की कि अप्रार्थी को मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखने, प्रार्थी को जय अम्बे फिलिंग स्टेशन से बेदखल न करने तथा अप्रार्थी द्वारा जबरन प्रवेश न करने, न ही किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश देने हेतु पाबंद किया जाये।

इसके विपरीत अप्रार्थी की ओर से तर्क पेश किया गया कि विवादित भूमि अप्रार्थी के पास 19 वर्ष 11 माह की लीज पर है और जब तक लीज खत्म नहीं हो जाती है प्रार्थी का कब्जा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कब्जा विपक्षी कम्पनी का बतौर किरायेदार का है, प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है, इसलिए वह कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा मनन किया गया।

प्रकरण के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य धारा–34 आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलिएशन एक्ट का प्रार्थनापत्र विधि अनुसार निस्तारित होने के उपरांत उसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाही लंबित है। उक्त कार्यवाही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9.12.15 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्टे किया गया तथा इसकी पुष्टि दिनांक 30.1.17 के विस्तृत आदेश से की गई है।

ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या धारा–34 आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलिएशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का आदेश दिनांक 17.8.15 की क्रियान्विति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित की जा चुकी है।

इसी के साथ ही साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के मद नंबर–3 में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा धारा–9 आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलिएशन एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मुकदमा नंबर–8/15 मु.दी. की सुनवाई तक मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखना आवश्यक है तथा अन्य अनुतोष भी अंकित किया गया है। इस तरह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के तहत धारा–9 आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलिएशन एक्ट के तहत प्रार्थनाापत्र के निस्तारण तक के लिए अन्तरिम अनुतोष चाहा गया है और यह निर्विवादित है कि धारा–9 आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलिएशन एक्ट का प्रार्थनापत्र का निस्तारण दिनांक 17.8.15

को हो चुका है जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–9 मुकदमा नंबर–8/15 मु.दी. (उनवान ओपेन्द्रसिंह बनाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुकदमा नंबर 6/19) का निस्तारण आज इस न्यायालय द्वारा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में जबकि मूल प्रार्थनापत्र का ही निस्तारण हो चुका है, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–151सिविल प्रक्रिया संहिता Infructuous होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति मैं निम्न आदेश दिया जाना न्यायोचित पाता हूं।

:: आदेश ::

प्रार्थी ओपेन्द्रसिंह राजपूत का प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा प्रार्थनापत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

(संदीप शर्मा)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय,उदयपुर

आदेश आज दिनांक 30.7.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(संदीप शर्मा)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय,उदयपुर